जिला युवा कल्याण एवंम् प्रादेशिक विकास दल अधिकारी,पीलीभीत

लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)बी के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 के पत्र संख्या 556/43–2–2008–15/02(3)2007 टी. सी.दि.6.6.08 की सूचना

क्र. सं.	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य	युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग में राज्य स्तर पर महानिदेशक प्रान्तीय रक्षक दल /विकास दल एवंम् युवा कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ,अपर निदेशक,उपनिदेशक,सहायक निदेशक,सहायक समादेष्टा,शोध अधिकारी,सहायक लेखाधिकारी होते हैं। जनपद स्तर पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी,व्यायाम प्रशिक्षक,कनिष्ठ लिपिक एवंम् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा विकासखण्ड स्तर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण एवंम् प्रा.वि.द. अधिकारी होते हैं वर्तमान में जनपद पीलीभीत में 2 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी,एक कनिष्ठ लिपिक,एक चपरासी कार्यरत है। जि.यु.क. एवंम् प्रा.वि.द.अधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा विभागीय कार्यों का अनुश्रवण एवंम सत्यापन करना, विभाग के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन आहरण सम्बन्धि दायित्वों का निर्वहन करना जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के नियन्त्रण में कार्य करना । व्यायाम प्रशिक्षक द्वारा खेलकूद से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों का संचालन एवंम् व्यायामशाला में युवकों को

		प्रशिक्षण प्रदान करना। क्षे.यु.क. प्रा.वि.अ. विकासखण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी के नियन्त्रण में रहकर समस्त विभागीय कार्य करना तथा जिला युवा कल्याण अधिकारी एवंम् खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्यों का सम्पादन करना ।
2	अधिकारियों / कर्मचारियोंकी शक्तियां और कर्तव्य	शासनादेश संख्या 1298 पचास –यु.का. 80–137 / पी.वी.डी / 76 / दि.24अक्टूबर 1988(द्वितीय संशोधन)के द्वारा विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों के द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने हेतु निर्णय लिए जाते हैं।
3	विनिष्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के मामले सम्मिलित हैं ।	जनपदस्तर पर जिला युवा कल्याण अधिकारी,मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी के नियन्त्रण में कार्य करते हैं व्यायाम प्रशिक्षक / क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी जिला युवा कल्याण अधिकारी के नियन्त्रण में कार्य करते हैं ।
4	अपने कृत्यों के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित माप–मान	जिला युवा कल्याण अधिकारी जनपद स्तर पर जिला योजना के अन्तर्गत विभाग से सम्बन्धित जिला योजना की संरचना तैयार करना बचट प्राविधान कराना तथा संचालित विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग व्यय निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षित कराने के लिए उत्तरदायी है । व्यायाम प्रशिक्षक द्वारा शहरी / ग्रामीण व्यायामशालाओं में युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है,क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारि विकासखण्ड स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता,युवक / महिला मंगल दलों का गठन / पंजीकरण / प्रोत्साहन एवंम् पी.आर.डी. स्वयं सेवकों की ड्यूटी से सम्बन्धित कार्य किए जाते हैं।
5	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन	महानिदेशालय पर विभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल ऐक्ट एण्ड रूल्स 1948 के द्वारा द्वितीय

	धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम,विनियम,अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख ।	संशोधन में निम्नलिखित का समावेश किया गया है । ग्रामीण युवक समिति का विधान,विभागीय कार्यक्रमों से सम्बन्धित शासनादेश, खेलकूद आयोजन सम्बन्धित शासनादेश,युवा केन्द्रों की स्थापना,अखाड़ों की स्थापना,स्वयंसेवकों की ड्यूटी से सम्बन्धित वैंक एवंम् बैजेस के सम्बन्ध में शासनादेश महानिदेशालय पर उपलब्ध हैं।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किए गए हैं अथवा उनके नियन्त्रण में हैं।	विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षित पी.आर.डी. स्वयंसेवकों की नामावली अवैतनिक ब्लाक कमाण्डर,हल्का सरदार,दलपत,टोलीनायक,रक्षक/युवक /महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन एवंम् गठन पंजीकरण का विवरण,ब्लाकस्तर पर चयनित खिलाड़ियों की सूची आदि अभिलेख रक्खे जाते हैं । जनपद स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों/व्यायाम प्रशिक्षक/कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धि अभिलेख,प्रशिक्षित पी.आर. डी. स्वयं सेवकों का नामिनल रोल पंजीका,युवक महिला मंगलदलों की गठन/पंजीकरण प्रोत्साहन से सम्बन्धित पंजीका । जनपद स्तर पर चयनित खिलाड़ियों की पंजीका तथा विभाग कार्यक्रमों से सम्बन्धित आदेश रक्खे जाते हैं ।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्मान हैं ।	पंचायती राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रम युवक मंगल महिला दलों का गठन/पंजीकरण /प्रोत्साहन/अखाड़ा/व्यायाशालाऐं ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित की जाती हैं ।

8	बोर्ड,परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण इन बोर्डो,परिषदों,समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यरत लोगों के लिए सुलभ है।	शासन द्वारा उ.प्र. राज्य युवा कल्याण परिषद को इस विभाग से सम्बद्ध किया गया है जनपद स्तर पर जिला युवक समिति विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्रीय युवक समिति का गठन किया जाता है जिसका उद्देश्य युवा वर्ग के लिए नीति निर्धारण करना विभिन्न विषयों पर मार्ग दर्शन प्राप्त करना है ।
9	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका	विभाग द्वारा ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम जिसमें 16 वर्षीय बालक–बालिका खेल चयन प्रतियोगिता,महिला खेल उत्सव एवं पुरूषों की खुली ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता विकास खण्ड एवंम् जनपद स्तर पर कराई जाती है । पंचायत युवा खेल एवं क्रीडा अभियान भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायत /ब्लाक पंचायत पर वर्ष 2008 से संचालित किया जाना है । विकास खण्ड/जनपद स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम युवा नेतृत्व प्रशिक्षण प्रादेशिक विकास दल के स्वयं सेवकों को स्वयं प्रशिक्षण दिया जाता है । विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्रीत्र युवा कल्याण अधिकारी एवं जनपद स्तर पर जिला युवा कल्याण अधिकारी से सम्पर्क किया जा

		सकता है ।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनिमयों में यथा उपबन्धित प्रतिकृत की प्रणाली सम्मिलित है ।	विभाग के अन्तर्गत दो क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एक कनिष्ठ लिपिक एवम् एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय में वैतनिक के रूप में कार्यरत हैं । जिन्हें मासिक वेतन दिया जाता है ।
11	समस्त योजनाओं,प्रस्तावित व्ययों और किए गए समवितरणों पर रिर्पोटों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण हेतु आवंटित बजट	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन हेतु 1 लाख 37 हजार सात सौ ग्यारह, विकासखण्ड/जनपद स्तर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवंम् युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर आयोजन हेतु 2 लाख 15 हजार 2 सौ धनराशि का आवंटन किया गया है । कार्यवाही की जा रही है।
12	सहायकी कार्यक्रमों की निष्पादन की रीति जिसमें आवंटन की आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्मिलित हैं ।	व्यक्तिगत लाभ की कोई योजना संचालित नहीं है ।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों,अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां।	विभाग में कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं है ।
14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के	महानिदेशालय स्तर पर उपलब्ध है ।

	सम्बन्ध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ।	
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं ।	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए ब्लाक स्तर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एवंम् जनपद स्तर पर जिला युवा कल्याण अधिकारी से सुबह 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक सूचना प्राप्त की जा सकती है ।
16	जनसूचना अधिकारियों के नाम,पदनाम और अन्य विशिष्टटियां	जनपद स्तर पर जिला युवा कल्याण अधिकारी,जन सूचना अधिकारी एवंम् ब्लाक स्तर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी विकास खण्ड पूरनपुर सहायक जन सूचना अधिकारी को नामित किया गया है । जनपद स्तर पर जनसूचना प्राप्त करने हेतु पंजीका तैयार की गई है जिसमें प्राप्त आवेदन पत्रों को उल्लेख किया जाता है। ———————————————————— जन सूचना अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह जिला युवा कल्याण अधिकारी सहायक जन सूचना अधिकारी श्री जयकरन लाल क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी

जिला युवा कल्याण एवंम्

प्रादेशिक विकास दल अधिकारी

पीलीभीत